प्रेस नोट
दिनांक 06.01.2025

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा बरामद–

कार्यवाहीः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में खरगूपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त श्रवण वर्मा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

आज दिनांक 06.01.2025 को थाना खरगूपुर के उ0नि0 चन्द्रदीप मिश्रा मय फोर्स शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि पटवा टेंट हाउस के आगे एक व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ लेकर जा रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस बल द्वारा बताये गए स्थान पर घेराबन्दी कर अभियुक्त श्रवण वर्मा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना खरगूपुर में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. श्रवण वर्मा पुत्र स्व0 राजाराम वर्मा नि0 हरवाहन पुरवा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–05/2025, धारा 8/20 एनडीपीएस ऐक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 चन्द्रदीप मिश्रा।
02. हे0का0 आदित्य यादव।
03. का0 विजय शंकर राय।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 06.01.2025

थाना परसपुर पुलिस द्वारा 03 दहेज हत्याभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी करनैलगंज श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना परसपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–480/24, धारा 82,85 बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित 03 आरोपी अभियुक्तों–01. सूर्यप्रताप सिंह (पति) पुत्र विजयपाल सिंह, 02. विजय पाल सिंह (ससुर) पुत्र स्व0 जगदम्बा सिंह, 03. श्रीमती लल्ली(सास) पत्नी विजय पाल सिंह निवासीगण गलिबहा मधईपुर खाण्डेराय थाना परसपुर जनपद गोण्डा को ग्राम गलिबहा मधईपुर से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 26.12.2024 को वादी सत्यप्रकाश पुत्र स्व0 हरिपाल सिंह नि0 ग्राम नन्दौर बस्ती पुरवा थाना परसपुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना परसपुर में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी पुत्री की शादी वर्ष 2022 में ग्राम गलिबहा मधईपुर थाना परसपुर के रहने वाले सूर्यप्रताप सिंह के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही मेरी पुत्री को उसके पति व परिजनों द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था तथा दिनांक 26.12.2024 को दहेज की मांग के चलते हुए प्रताड़ित करते हुए फांसी लगाकर जान से मार दिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना परसपुर में नामजद 05 अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। जिसमें थाना परसपुर पुलिस द्वारा प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर 03 आरोपी अभियुक्तों–01. सूर्यप्रताप सिंह (पति), 02. विजय पाल सिंह (ससुर), 03. श्रीमती लल्ली (सास) के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. सूर्यप्रताप सिंह (पति) पुत्र विजयपाल सिंह निवासी गलिबहा मधईपुर खाण्डेराय थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
02. विजय पाल सिंह (ससुर) पुत्र स्व0 जगदम्बा सिंह निवासी गलिबहा मधईपुर खाण्डेराय थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
03. श्रीमती लल्ली पत्नी विजय पाल सिंह निवासी गलिबहा मधईपुर खाण्डेराय थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–480/24, धारा 82,85 बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 अमन कनौजिया।
02. हे0का0 अमित कुमार।
03. का0 रंजीत कुमार।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 06.01.2025, थाना कौडिया,
जनपद गोण्डा।

थाना कौडिया पुलिस द्वारा चोरी करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, चोरी के 03 घटनाओं का सफल अनावरण, कब्जे से 02 अदद पम्पिंग सेट, 01 अदद बिजली मोटर व घटना में प्रयुक्त पिकअप बरामदः-

कार्यवाहीः-
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी गोण्डा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज सौरभ वर्मा के नेतृत्व में गठित थाना कौडिया पुलिस टीम 01. मु0अ0स0- 02/2025, धारा 303(2) बीएनएस थाना कौडिया, 02. मु0अ0स0- 04/2025, धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना को0देहात, 03. मु0अ0स0- 05/2025, धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना को0देहात से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्त संदीप सिंह पुत्र भोलानाथ सिंह निवासी लालपुर चन्द्रभान थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा को फरेन्दा शुक्ला की ओर से आने वाली रोड़ के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का 02 अदद इंजन(पम्पसेट), 01 अदद बिजली का मोटर व घटना में प्रयुक्त पिकअप UP43AT0463 बरामद कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-
दिनांक 05.01.2025 को वादिनी द्वारा थाना कौडिया पुलिस को सूचना दी गई कि दिनांक 04.01.2025 को बनगाई स्थित खेत से किसी अज्ञात चोर द्वारा पम्पिंग सेट चोरी कर लिया गया है, तहरीर के आधार पर थाना कौडिया में मु0अ0स0- 02/2025, धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी व चोरी की पम्पिग सेट बरामदगी हेतु टीमों का गठन किया गया। आज दिनांक 06.01.2025 को थाना कौडिया पुलिस द्वारा प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त संदीप सिंह पुत्र भोलानाथ सिंह निवासी लालपुर चन्द्रभान थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा को फरेन्दा शुक्ला की ओर से आने वाली रोड़ से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का 02 अदद इंजन(पम्पसेट), 01 अदद बिजली का मोटर व घटना में प्रयुक्त पिकअप UP43AT0463 बरामद कर लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर विवेचना में धारा 317 बीएनएस की बढोत्तरी किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कौडिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ का विवरण
पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनाकं 04.01.2025 की रात्रि में कौडिया से आर्यनगर की तरफ जाने वाले सड़क के किनारे बनगाई गाँव के खेत 06 हार्स पावर का इंजन चोरी किया था इसके अतिरिक्त थाना कोदेहात क्षेत्र के दुसरा इंजन 05 हार्स पावर का दिनांक 05.01.2025 को थाना को0देहात के गाँव भूलभुलिया गाँव के पक्की सड़क के किनारे गन्ने के खेत से चोरी किये थे तथा कुछ दिन पहले बिजली की मोटर किलोस्कर कम्पनी का बनघुसरा पथरी रोड़ के किनारे भगहर बुलन्द गाँव के खेत से चोरी किये थे जिसे पिकअप पर लाद करके बेचने ले जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त-
01. संदीप सिंह पुत्र भोलानाथ सिंह निवासी लालपुर चन्द्रभान थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0स0- 02/2025, धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना कौडिया, जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0स0- 04/2025, धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना को0देहात, जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0स0- 05/2025, धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना को0देहात, जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 02 अदद इंजन(पम्पसेट) चोरी का बरामद।
02. 01 अदद बिजली का मोटर
03. घटना में प्रयुक्त पिकअप UP43AT0463

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 अवनीश शुक्ला
02. हे0का0 राकेश गौतम,
03. का0 लवकुश मौर्या

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 06.01.2025, मानिटरिंग सेल,

जनपद गोण्डा।

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से नाबालिका के साथ छेडछाड़ करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 03 वर्ष कठोर कारावास व रूपये 7,000/- अर्थदण्ड की सजा-

दिनांक 14.09.2017 को थाना को0देहात के अन्तर्गत नाबालिक लड़की के साथ छेड़छाड़ किया जाने के सूचना प्राप्त हुई थी। जिसके सम्बन्ध में थाना को0देहात पर मु0अ0सं0-505/2017, धारा 354ए, 323, 506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। तत्कालीन विवेचक उ0नि0 राकेश कुमार ओझा द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 08.10.2017 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था।

दोषसिद्धि का विवरण-

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्रीमती नम्रता अग्रवाल द्वारा थाना को0देहात पुलिस, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक श्री अनूप प्रताप सिंह, कोर्ट मोहर्रिर का0 सौरभ प्रताप सिंह व थाना को0देहात के पैरोकार हे0का0 रामजीत पटेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक- 06.01.2025 को दोषी अभियुक्त को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 7,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्तगण का नाम पता-

01. रामसरन शुक्ला पुत्र स्व0 रामआधार शुक्ला निवासी लक्ष्मणपुर जाट थाना को0देहात गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-505/2017, धारा 354बी, 323, 506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना को0देहात जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।